न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी **अरूण कुमार जैन, आर0 ए0 एस0**

मुकदमा नम्बर– राजस्व प्रार्थना पत्रः– 42 / 2022 (पूर्व न्यायालय का)
प्रार्थना पत्र संख्याः– 9 / 2022 (इस न्यायालय का)

दायर तारीखः–30 / 06 / 2022

1. गिरिराज प्रसाद पुत्र कैलाश चन्द
2. गोविन्द कुमार पुत्र कैलाशचन्द
3. सुधा कचौलिया पुत्र कैलाशचन्द

समस्त जाति महाजन नि0 मकान नं0 1156 निर्माण मार्ग झोटवाडा रोड, जयपुर जिला जयपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरियेः– तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर
2 अशोक कुमार पुत्र कैलाशचन्द जाति महाजन
3 ओमप्रकाश पुत्र मूलचन्द जाति महाजन
4 गिरिराज प्रसाद पुत्र रमेशचन्द शर्मा जाति ब्राह्मण
5 गिरिराज पुत्र कैलाशचन्द जाति महाजन
6 रामबाबू पुत्र मूलचन्द जाति महाजन

समस्त निवासीयान करणसर तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0

7 महेश चन्द पुत्र खेमचन्द जाति महाजन निवासी करणसर तह0 जोबनेर जिला जयपुर हाल नि0 110 शिल्प कॉलोनी कालवाड रोड, जयपुर।
8 आमिन पुत्र गफूर खां
9 निजामुद्दीन पुत्र गफूर खां
10 मकबूलशेख पुत्र गफूर खां
11 मो0 इस्लामशेख पुत्र गफूर खां
12 मो0 मुस्ताकअली पुत्र गफूर खां
13 मो0 सत्तार पुत्र गफूर खां
14 रसीदाबानू पुत्री गफूर खां

समस्त जाति मुसलमान निवासी करणसर तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0

15 रजाक पुत्र मदारी जाति तेली निवासी करणसर तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0

–अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

अपनी आराजी खसरा नं0 314/15 के पत्थरगढ़ी करवाकर उसके आधार पर तारबंदी करवाना चाहते है जिससे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सके और सीमा संबंधित कोई विवाद भविष्य में उत्पन्न नहीं हो।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर आराजी खसरा नं0 314/15 रकबा 1.2645 है0 वाके ग्राम करणसर पटवार हल्का करणसर तह0 जोबनेर का मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 28.05.2022 के अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 के कोर्ट कैम्प करणसर में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2लगा06 उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं उपस्थित अप्रार्थीगण से आपसी सहमति से प्रकरण का निस्तारण करने हेतु समझाईश की गई। अप्रार्थी सख्या 2ल06 द्वारा इस बात पर सहमति प्रदान की गई कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 314/15 के साथ ही अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 314/19, 314/16, 314/14, 314/13 जो प्रार्थीगण की आराजी के लगवा स्थित है, की भी पत्थरगढी के आदेश साथ में जारी कर दिये जावे। उक्त कथन पर अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2लगा06 की बहस पर चिन्तन मनन किया गया। प्रार्थीगण की आराजी 314/15 के साथ ही पडौसी खातेदारों/अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नं0 314/19, 314/16, 314/14, 314/13 का भी पत्थरगढी के आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर 314/15 रकबा 1.2645 है0 वाकै ग्राम करणसर पटवार हल्का करणसर तह0 जोबनेर तथा आराजी खसरा नं0 314/19, 314/16, 314/14, 314/13 वाकै ग्राम करणसर पटवार हल्का करणसर की भूमि सीमा जानकारी के लिये भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार मोमियाशीट/मदर मैप से पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये प्रत्येक खसरा नम्बर हेतु **भू0अ0निरीक्षक करणसर को 500/–रूपये (पांच सौ रूपये) कुल 2500 (पच्चीस सौ रूपये)** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण की भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण भूमि का विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। कमिश्नर भू0अ0नि0 करणसर को पाबंद किया जाता है कि पत्थरगढी के दौरान प्रार्थीया की खातेदारी भूमि पर पडौसी खातेदारों का कब्जा होने की स्थिति में कब्जे की सुपुर्दगी करने संबंधी कोई कार्यवाही नहीं करें। साथ ही यदि प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयो में स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 करणसर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार जोबनेर को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

(अरुण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर